मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2151
06.08.2026 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2151. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम वर्ष 2023 में कार्यान्वित किया गया था;
(ख) अब तक इस कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं;
(ग) कितने राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है और इसके अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया हैं;
(घ) इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ड.) देशभर में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : केंद्र सरकार ने 12 अक्तूबर, 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिससे ऐसे स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन मिले जिनके फलस्वरूप ग्रीन क्रेडिट्स जारी किए जाएं। उक्त ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, वृक्षारोपण और क्षतिग्रस्त वन भूमि की पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली की कार्यविधि 22 फरवरी 2024 को अधिसूचित की गई है और तत्पश्चात 29 अगस्त 2025 को संशोधित की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) विकसित किया गया है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और कार्य-प्रथाओं को अपनाकर हरित आवरण को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण को बेहतर बनाना, क्षतिग्रस्त भूमियों की पुनर्बहाली करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

दिनांक 22 फरवरी 2024 को अधिसूचित पुरानी कार्यविधि के तहत, लगभग 4,391 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 225 भूमि प्रखंडों में पारि-पुनर्बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, 29 अगस्त, 2025 को अधिसूचित संशोधित कार्यविधियों के अंतर्गत, चार राज्यों में कुल 1,194 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 54 क्षतिग्रस्त वन भूमि प्रखंडों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से, तीन राज्यों में 222 हेक्टेयर क्षेत्र में व्याप्त सात भूमि प्रखंडों को संस्थाओं द्वारा पारि-पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए चुना गया है।

(घ) और (ङ): भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रशासक है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इन नियमों के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रबंधन, संचालन और उन्हें जारी करने सहित उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

आवेदक द्वारा ग्रीन क्रेडिट का दावा पुनर्बहाली के कार्य को न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य पूरा हो जाने तथा न्यूनतम चालीस प्रतिशत का वृक्ष-वितान घनत्व प्राप्त हो जाने पर ही किया जा सकता है। रोपित किए गए पौधों और प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को परिपक्व होने और पर्याप्त वृक्ष-वितान आवरण विकसित करने के लिए पांच वर्ष की स्थापना अवधि निर्धारित की गई है, ताकि मध्यम सघन वन के अनुरूप निर्धारित 40 प्रतिशत वृक्ष-वितान घनत्व प्राप्त किया जा सके।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत नामित "अधिकृत एजेंसी" ग्रीन क्रेडिट के दावे का सत्यापन कराएगी और ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए कार्यकलापों के सत्यापन के संबंध में प्रशासक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत पुनर्बहाली संबंधित कार्यकलापों की निगरानी और रिपोर्टिंग पर एक व्यापक मैनुअल तैयार किया गया है, ताकि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

यह मंत्रालय देश भर में क्षतिग्रस्त वन भूमि के पुनरूद्धार हेतु ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय कर रहा है।

*****